

संख्या - 009/वी.जी.एल/035

भारत सरकार

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,  
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,  
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023  
दिनांक: 01.07.2009

**परिपत्र संख्या 15/7/09**

**विषय: मुख्य सतर्कता अधिकारियों की शिकायतों तक पहुंच संबंधी अनुदेश ।**

लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के बारे में सूचना देने वाली शिकायतें विकेन्द्रीकृत रीति में प्राप्त होती हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी बहुत से विकेन्द्रीकृत स्थानों से भी शिकायतें प्राप्त करते हैं । वर्तमान रीति के अनुसार, विभिन्न विकेन्द्रीकृत स्थानों से मुख्य सतर्कता अधिकारियों को जो कुछ भी भेजा जाता है वह पूर्णतया: इन विकेन्द्रीकृत स्थानों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा 'सतर्कता पहलू' के मूल्यांकन अथवा अन्यथा पर आधारित होता है । ऐसी प्रणाली में बहुत संभावना है कि मूल्यांकन के अभाव के कारण अथवा अन्य यथार्थ कारणों से सतर्कता पहलू वाली शिकायत मुख्य सतर्कता अधिकारी को ना भेजी जा सके । आयोग द्वारा कुछ संगठनों में सतर्कता अंकेक्षण किए जाने से भी यह प्रकट हुआ है ।

2. एक संगठन/विभाग में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक समान रीति एवं प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से यह अत्यावश्यक है कि जनता, ठेकेदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकारों आदि से सभी प्रकार की शिकायतें/समस्याएं प्राप्त करने, संचालन करने तथा कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों/संगठनों में एक 'शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति' निर्धारित की जाए । नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संगठन/विभाग में किसी भी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी शिकायत/समस्या को जिसमें कथित भ्रष्टाचार, कदाचार, दुर्व्यवहार आदि का तत्व मौजूद हो, संवीक्षा तथा कार्रवाई के लिए संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी को आवश्यक रूप से भेजा जाना चाहिए । अतः सभी विभागों/संगठनों को निदेश दिया जाता है कि वे इस संबंध में आवश्यक नीति तथा प्रणालियां स्थापित करें ।

3. सतर्कता मैनुअल-1 (6ठा संस्करण) के अध्याय-III के पैरा 3.2.2 में निर्धारित है कि संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी भी ऐसी विधियां बना तथा अपना सकते हैं जिन्हें कर्मचारियों के मध्य किसी कदाचार तथा दुर्व्यवहार के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए संगठन में किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संदर्भ में उचित तथा लाभदायक समझा जाए ।

4. आयोग की यह राय है कि सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित विभाग/संगठन के अन्य प्रभागों/एककों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों/समस्याओं आदि की एक सतत आधार पर संवीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि यदि इन शिकायतों में सतर्कता पहलू वाले मुद्दें/आरोप हैं तो इन्हें सतर्कता विभाग में उचित रूप से कार्रवाई करने हेतु उन्हें भेजा जाए ।

ह0/-

(शालिनी दरबारी)

निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी